दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 06-07-2026

विषय सूची

भूस्खलन

भारत के सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने के पाँच वर्ष

सशस्त्र बलों द्वारा अग्निवीरों की अधिक प्रतिधारण(Retention) की मांग

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधुनिक युद्ध को नया स्वरूप दे रही है

संक्षिप्त समाचार

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती

हिंदकेसरी पेडगांव 'बैलगाडा शर्यत (Bailgada Sharyat)'

आईसीसी के 'गर्भावस्था के बाद खेल में वापसी' संबंधी दिशानिर्देश

गृह मंत्रालय ने यूएपीए के अंतर्गत 23 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया

सीमित (Caged) फ्रंटियर कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल

भारत को एशियाई शेरों के लिए दूसरे आवास की आवश्यकता

भूस्खलन

सन्दर्भ

- महाराष्ट्र में मूसलाधार मानसूनी वर्षा देखने को मिली, जिससे भूस्खलन और संरचनात्मक ध्वंस की घटनाएँ हुईं तथा पूरे राज्य में सड़क एवं संपर्क व्यवस्था बाधित हो गई।

भूस्खलन क्या है?

- भूस्खलन किसी ढाल पर चट्टानों, मिट्टी अथवा मलबे जैसे पदार्थों का सामूहिक रूप से नीचे की ओर खिसकना है। यह **अचानक भी हो सकता है** या **लंबे समय में धीरे-धीरे भी घटित** हो सकता है।
- जब किसी ढाल पर कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, उस ढाल का प्रतिरोध करने वाले बलों से अधिक हो जाता है, तब ढाल विफल हो जाती है और भूस्खलन होता है। भूस्खलन होने के पीछे कई बाहरी कारक हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:
- अत्यधिक वर्षा, जिससे भूमि जलसंतृप्त (Saturated) हो जाती है।
- ढाल के आधार का अपरदन।
- अपक्षय (Weathering) के कारण पदार्थ की मजबूती में परिवर्तन।

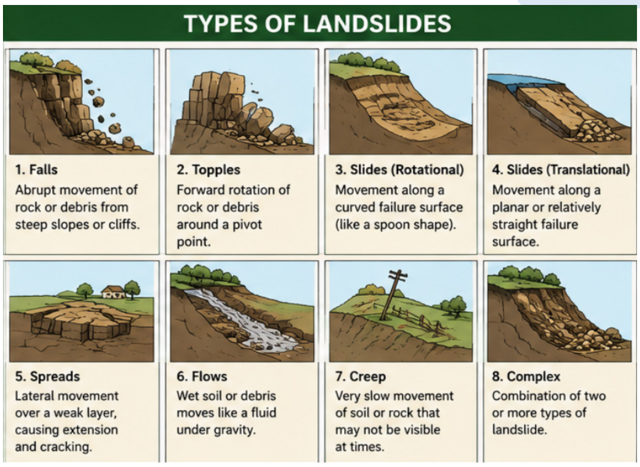

भारत में भूस्खलन से संबंधित प्रमुख तथ्य

- **भारत भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्र (ILSM) के अनुसार**, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का **लगभग 13.17% भाग भूस्खलन-प्रवण** है, जबकि **4.75% क्षेत्र 'अत्यधिक उच्च संवेदनशीलता'** श्रेणी में आता है।
- **हिमालय, पूर्वोत्तर राज्य तथा पश्चिमी घाट** देश के प्रमुख भूस्खलन हॉटस्पॉट हैं।
- **सिक्किम** में भूस्खलन-प्रवण क्षेत्र का **सर्वाधिक हिस्सा (57.6%)** है, जबकि **केरल**, हिमालयी क्षेत्र से बाहर होने के बावजूद, अपने लगभग **14% क्षेत्रफल** के साथ **'अत्यधिक उच्च संवेदनशीलता'** श्रेणी में आता है।
- विश्व स्तर पर भूस्खलन से होने वाली कुल मृत्यु का **लगभग 8%** भारत में होता है।
- भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों का मानचित्रण तथा भूस्खलन जोखिम (Hazard) का आकलन करने वाली प्रमुख संस्था **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI)** है।

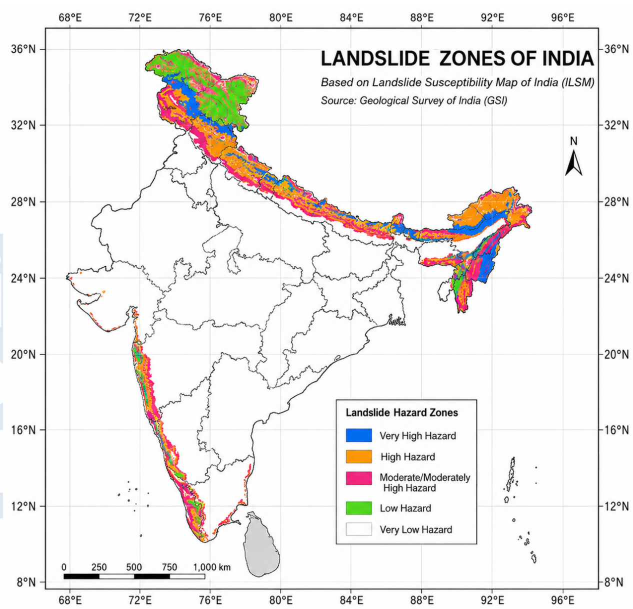

भूस्खलन के प्रमुख कारण

- भूस्खलन का सामान्यतः कोई एक कारण नहीं होता; यह प्रायः **प्राकृतिक संवेदनशीलता** तथा **मानवीय हस्तक्षेप के संयुक्त प्रभाव** का परिणाम होता है।
- हिमालयी क्षेत्रों में युवा एवं विवर्तनिक रूप से **सक्रिय पर्वत, जलविद्युत परियोजनाएँ, सड़कों का चौड़ीकरण, सुरंग निर्माण, तीव्र वर्षा तथा बादल फटने** जैसी घटनियाँ प्रमुख कारण हैं।
- **पश्चिमी घाट,** यद्यपि भूवैज्ञानिक दृष्टि से हिमालय की तुलना में अधिक प्राचीन एवं स्थिर है, फिर भी **भारी मानसूनी वर्षा, खनन, पत्थर खनन, पर्यटन तथा अव्यवस्थित निर्माण** गतिविधियाँ भूस्खलन के जोखिम को बढ़ाती हैं।

भूस्खलन जोखिम को कम करने हेतु उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र (NLFC):** भूस्खलन के पूर्वानुमान तथा समयपूर्व चेतावनी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) द्वारा कोलकाता में इसकी स्थापना की गई।
- **भूसंकेत पोर्टल एवं भूस्खलन ऐप:** ये मंच वास्तविक समय (Real-time) में भूस्खलन के पूर्वानुमान उपलब्ध कराते हैं तथा भूस्खलन की घटनाओं की रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करते हैं।
- **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के दिशानिर्देश**: भूस्खलन एवं हिमस्खलन (Snow Avalanches) के प्रभावी प्रबंधन के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- **राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति**: इसका मुख्य ध्यान जोखिम मानचित्रण, निगरानी, पूर्व चेतावनी प्रणाली, जन-जागरूकता, क्षमता निर्माण तथा ढालों के स्थिरीकरण पर केंद्रित है।
- **सेंडाई फ्रेमवर्क (2015–2030)**: भारत आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा **आपदा-प्रतिरोधक क्षमता (Resilience)** के निर्माण के लिए इस वैश्विक रूपरेखा का अनुसरण करता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) क्या कहता है?

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक स्पष्ट कार्य-योजना प्रस्तुत की है:
- भूस्खलन जोखिम क्षेत्रीकरण (Landslip Hazard Zonation—LHZ) मानचित्र तैयार किए जाएँ, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) को समय के साथ रुझानों तथा जोखिम की निगरानी के लिए **राष्ट्रीय भूस्खलन डेटाबेस** का रखरखाव करना चाहिए।
- ढालों को भौतिक रूप से स्थिर बनाने के लिए **रिटेनिंग दीवारें, रॉक बोल्टिंग, तार-जाल (Wire Mesh)** तथा **वनस्पति आवरण** का उपयोग किया जा सकता है।
- जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, ताकि पानी एकत्र होकर ढाल के भीतर न रिसे।

आगे की राह

- **पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र (ESA) फ्रेमवर्क** को अधिसूचित कर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, ताकि खनन, पत्थर खनन तथा बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं को विनियमित किया जा सके।
- पर्वतीय क्षेत्रों में विस्तृत भूस्खलन जोखिम क्षेत्रीकरण (Landslide Hazard Zonation—LHZ) मानचित्रों के आधार पर **भूमि-उपयोग क्षेत्रीकरण (Land-use Zoning) को अनिवार्य** बनाया जाए।
- संवेदनशील क्षेत्रों में **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित सेंसर** तथा **समयपूर्व चेतावनी प्रणालियाँ (Early Warning Systems)** स्थापित की जाएँ, ताकि लोगों को समय पर चेतावनी मिल सके।
- संवेदनशील ढालों की निरंतर निगरानी के लिए **ड्रोन, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग** (LiDAR) **तकनीक तथा उपग्रह चित्रों** का उपयोग किया जाए।
- **वनीकरण तथा अन्य प्रकृति-आधारित समाधानों (Nature-based Solutions)** को प्राथमिकता दी जाए। अनेक मामलों में ये कंक्रीट आधारित उपायों की तुलना में अधिक किफायती और दीर्घकालिक रूप से अधिक टिकाऊ सिद्ध होते हैं।

स्रोत: TH

भारत के सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने के पाँच वर्ष

संदर्भ

- सहकारिता मंत्रालय का **5वाँ स्थापना दिवस** 6 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में मनाया गया।

स्थापना दिवस का परिचय

- सहकारी भंडारण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए **47 अनाज भंडारण गोदामों की आधारशिला** रखी गई।
- **राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के लिए दूध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल** (Milk Supply Review Dashboard Portal) का शुभारंभ किया गया, जिससे दूध के संग्रहण और वितरण के प्रबंधन में सुधार होगा।

- राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम (NUCFDC) की दो प्रमुख पहलों—**सहकार सीबीएस (Sahakar CBS) तथा सहकार सहयोगी** का शुभारंभ किया गया।
- **सहकार सीबीएस (Sahakar CBS)** शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक केंद्रीकृत कोर बैंकिंग समाधान है।
- **सहकार सहयोगी** एक संवादी एआई (AI) आधारित मंच है, जिसे ग्राहक सेवाओं तथा बैंकिंग संचालन को बेहतर बनाने के लिए विकसित किया गया है।

सहकारी संस्थाएँ क्या हैं?

- सहकारी संस्था (Co-op) ऐसा संगठन या व्यवसाय है, जिसका स्वामित्व और संचालन समान हित, उद्देश्य या आवश्यकता वाले व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है।
- इन व्यक्तियों को सदस्य कहा जाता है। वे सहकारी संस्था की गतिविधियों तथा निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में भाग लेते हैं। सामान्यतः **"एक सदस्य–एक मत" के सिद्धांत** का पालन किया जाता है, चाहे किसी सदस्य ने कितनी भी पूँजी या संसाधन का योगदान दिया हो।
- सहकारी संस्था का **मुख्य उद्देश्य** बाहरी अंशधारकों (Shareholders) के लिए अधिकतम लाभ कमाने के बजाय अपने सदस्यों की आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है।
- भारत में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे व्यापक जन-आधारित सहकारी पारितंत्र विद्यमान है।
- ये संस्थाएँ जमीनी स्तर पर आर्थिक भागीदारी की रीढ़ हैं तथा किसानों, डेयरी उत्पादकों, मछुआरों, कारीगरों और श्रमिकों को आय के अवसरों से जोड़ती हैं।

संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से सहकारी संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण

- प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (**PACS**) अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना की आधारभूत इकाइयाँ हैं। ये बहु-सेवा संस्थाओं के रूप में सक्रिय हैं और ग्रामीण आर्थिक सेवाओं के प्रथम संपर्क बिंदु का कार्य करती हैं।
- **श्वेत क्रांति 2.0 :** सहकारी डेयरी क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए 2028–29 तक दूध के संग्रहण में 50% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।
- अब तक 25,282 डेयरी सहकारी समितियों का पंजीकरण किया जा चुका है, जिनमें महिला-नेतृत्व वाली डेयरी सहकारी समितियों तथा सहकारी नेटवर्क के व्यापक विस्तार पर विशेष बल दिया गया है।
- **सहकारी शिक्षा: त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय (TSU) की स्थापना** भारत के प्रथम सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में की गई है। यह विश्वविद्यालय सहकारी क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान तथा कौशल विकास को प्रोत्साहित करता है।
- **राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT)** तथा **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)** के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।
- **भारत टैक्सी** : यह **सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड** की एक पहल है, जो सहकारी मॉडल पर आधारित चालक-केंद्रित परिवहन मंच है।
- इसका उद्देश्य चालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना तथा आम जनता को सस्ती, सुरक्षित और विश्वसनीय परिवहन सेवाएँ उपलब्ध कराना है।

भारत में सहकारी संस्थाओं की सफलता की कहानियाँ

- **अमूल (गुजरात):** डेयरी सहकारी संस्था अमूल भारत की सबसे सफल सहकारी संस्थाओं में से एक है। इसने लाखों छोटे किसानों को सशक्त बनाकर डेयरी क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया तथा भारत को वैश्विक डेयरी बाज़ार में अग्रणी देशों में स्थापित किया।
- **इफको (IFFCO):** यह विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी संस्थाओं में से एक है। इफको लाखों किसानों को उर्वरक, कृषि आदान, फसल परामर्श सेवाएँ तथा डिजिटल समाधान उपलब्ध कराती है।

- **स्व-नियोजित महिला संघ** (SEWA): इस संगठन ने डेयरी, हस्तशिल्प, कृषि तथा वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में महिला-नेतृत्व वाली सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा दिया है।
- **महाराष्ट्र का सहकारी चीनी क्षेत्र: प्रवरा सहकारी चीनी कारखाना (भारत का प्रथम सहकारी चीनी कारखाना)** तथा **वारणा सहकारी परिसर (Warana Cooperative Complex)**जैसी संस्थाओं के नेतृत्व में इस क्षेत्र ने चीनी उत्पादन को **शिक्षा, बैंकिंग, डेयरी, स्वास्थ्य सेवाओं तथा कृषि-प्रसंस्करण से जोड़कर** ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किया है।

सहकारी संस्थाओं के समक्ष चुनौतियाँ

- सहकारी संस्थाओं के कार्यों में **राजनीतिक हस्तक्षेप।**
- कमज़ोर शासन व्यवस्था तथा **पेशेवर प्रबंधन का अभाव।**
- सीमित वित्तीय संसाधन तथा सहकारी संस्थाओं का **कम पूँजी आधार।**
- विभिन्न राज्यों में सहकारी आंदोलन का **असमान विकास।**
- सदस्यों में सहकारी शासन व्यवस्था तथा उनके अधिकारों के प्रति **सीमित जागरूकता।**

97वाँ संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2011

- इसने सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी तथा इसे **अनुच्छेद 19** के अंतर्गत स्थान दिया।
- इसने राज्य के नीति-निदेशक तत्वों में सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित एक नया प्रावधान **अनुच्छेद 43-ख (43B)** के रूप में जोड़ा।
- **भाग IX-ख (Part IX-B)** – आंशिक रूप से निरस्त: इस संशोधन द्वारा संविधान में "सहकारी समितियाँ" शीर्षक से **भाग IX-ख (अनुच्छेद 243-झक (243ZH)** से 243-झट (243ZT)) जोड़ा गया।
- वर्ष 2021 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने **भारत संघ बनाम राजेंद्र एन. शाह वाद में भाग IX-ख** के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से को असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दिया।

स्रोत: PIB

सशस्त्र बलों द्वारा अग्निवीरों के अधिक प्रतिधारण की मांग

सन्दर्भ

- सशस्त्र बल चार वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद सेवाओं में बनाए रखे जाने वाले अग्निवीरों (Retention) के प्रतिशत को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

परिचय

- अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती किए गए अग्निवीरों ने वर्ष 2023 के प्रारंभ में अपना प्रशिक्षण शुरू किया था। अग्निवीरों का पहला बैच वर्ष 2026 में अपना चार वर्षीय कार्यकाल पूरा करेगा।
- वर्तमान नीति के अनुसार, प्रारंभ में सभी अग्निवीरों को सेवा से मुक्त किया जाएगा। इसके बाद स्वेच्छा से आवेदन करने वाले अग्निवीरों में से योग्यता (Merit) के आधार पर अधिकतम 25% को नियमित सैनिकों के रूप में पुनः भर्ती किया जाएगा।

अग्निपथ योजना के बारे में

- भारत सरकार ने **वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना** प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत **थल सेना, नौसेना और वायु सेना में अधिकारी पद से नीचे (Below Officer Rank) के पदों पर पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों की चार वर्ष के लिए अग्निवीर के रूप में भर्ती** की जाती है।
- **पात्रता: 17.5 से 21 वर्ष आयु** वर्ग के अभ्यर्थी इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
- **प्रशिक्षण:** अग्निवीरों को आवश्यकतानुसार अनुकूलित आधारभूत सैन्य प्रशिक्षण, विशिष्ट व्यावसायिक (Trade) प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन (Up-skilling) पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं।
- **स्थायी भर्ती:** कार्यकाल पूरा होने के बाद संगठनात्मक आवश्यकताओं तथा सशस्त्र बलों की नीतियों के अनुसार अग्निवीरों को स्थायी संवर्ग (Permanent Cadre) में भर्ती हेतु आवेदन करने का अवसर दिया जाता है।
- इनमें से अधिकतम **25% अग्निवीरों का चयन नियमित संवर्ग में** किया जाता है।

योजना के अंतर्गत लाभ

- अग्निवीरों को **मासिक वेतन पैकेज के साथ लागू जोखिम एवं कठिनाई भत्ते** दिए जाते हैं। उनके वेतन

का 30% अग्निवीर कोष (Agniveer Corpus Fund) में जमा किया जाता है, जिसमें सरकार समान राशि का योगदान करती है।

- चार वर्ष पूरे होने पर उन्हें संचित ब्याज सहित लगभग **₹11.71 लाख की कर-मुक्त सेवानिधि (SevaNidhi)** प्रदान की जाती है।
- भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा अवधि के दौरान अग्निवीरों को **₹48 लाख का अंशदान-रहित (Non-contributory) जीवन बीमा** उपलब्ध कराया जाता है।
- **अग्निवीर ग्रेच्युटी तथा पेंशन संबंधी लाभों के पात्र नहीं** होते।

सशस्त्र बल अग्निवीरों की अधिक प्रतिधारण क्यों चाहते हैं?

- **विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता**: नई प्रौद्योगिकियों, आधुनिक सैन्य मंचों तथा उन्नत उपकरणों की खरीद के कारण विस्तारित विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता बढ़ गई है।
- अधिक संख्या में अग्निवीरों को बनाए रखने से सैनिकों को इन उन्नत प्रणालियों के संचालन में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता प्राप्त होगी।
- **अनुभवी सैन्य बल का निर्माण:** अधिक अग्निवीरों को बनाए रखने से तीनों सेनाओं में युवा मानवबल बनाए रखने के साथ-साथ पर्याप्त अनुभवयुक्त सैनिक भी उपलब्ध रहेंगे।
- **इकाई एकजुटता (Unit Cohesion) को सुदृढ़ करना**: सैनिकों का लंबा कार्यकाल, विशेषकर सेवा के प्रारंभिक वर्षों में, कठिन परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण तैनातियों के दौरान साथ काम करने से सहयोगियों के बीच बेहतर तालमेल एवं आपसी विश्वास विकसित करता है।
- **संचालनात्मक तैयारी (Operational Preparedness)**: यद्यपि अग्निवीरों ने विभिन्न अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, फिर भी अनेक अवसरों पर विभिन्न क्षेत्रीय तैनातियों तथा प्रशिक्षण अभ्यासों से प्राप्त अनुभव ने संचालन संबंधी परिस्थितियों में अधिक तीव्र एवं प्रभावी प्रतिक्रिया देने में सहायता की है।

आगे की राह

- अग्निपथ योजना को सेना को अधिक युवा, ऊर्जावान, अनुशासित तथा भविष्य के लिए तैयार बनाने हेतु एक महत्त्वपूर्ण मानव संसाधन सुधार के रूप में देखा जाना चाहिए।
- चार वर्ष से आगे भी सेवा जारी रखने के इच्छुक अग्निवीरों के लिए सुनियोजित करियर मार्ग, विशिष्ट प्रशिक्षण तथा नेतृत्व विकास के अवसर विकसित किए जाने चाहिए।
- साथ ही, थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना की अलग-अलग मानवबल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सेवा-विशिष्ट प्रतिधारण नीति (Service-specific Retention Policy) अपनाने की आवश्यकता है।

स्रोत: IE

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा आधुनिक युद्ध को नया स्वरूप

सन्दर्भ

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सैन्य स्वायत्तता तथा एल्गोरिथ्मिक युद्ध (Algorithmic Warfare) की त्रयी आधुनिक युद्ध संचालन तथा प्रतिरोधक क्षमता (Deterrence) को नए सिरे से परिभाषित कर रही है।

युद्धों में प्रौद्योगिकी का हालिया उपयोग

- रूस–यूक्रेन युद्ध ने दिखाया है कि कम लागत वाले एफपीवी (FPV) ड्रोन महँगे बख्तरबंद सैन्य वाहनों को भी नष्ट कर सकते हैं।
- **नागोर्नो-काराबाख युद्ध** ने पारंपरिक युद्ध में लोइटरिंग म्यूनिशन्स (Loitering Munitions) के निर्णायक प्रभाव को प्रदर्शित किया।
- **गाज़ा पट्टी संघर्ष** ने यह उजागर किया कि गैर-राज्यीय तत्व भी निगरानी तथा लक्षित हमलों के लिए वाणिज्यिक ड्रोन का प्रभावी उपयोग कर सकते हैं।
- भारत ने भी हाल के अभियानों, जिनमें **ऑपरेशन सिंदूर** तथा **पाकिस्तान के विरुद्ध जवाबी हमले** शामिल हैं, में **ड्रोन का उपयोग** किया है।

आधुनिक युद्ध क्या है?

- आधुनिक युद्ध की विशेषता कम लागत, उच्च प्रभाव वाली प्रौद्योगिकियों, जैसे **मानवरहित हवाई वाहन**

(UAVs), लोइटरिंग म्यूनिशन्स, स्वार्म ड्रोन (Swarm Drones) तथा लंबी दूरी की सटीक प्रहार प्रणालियों (Long-range Precision Strike Systems) का बढ़ता उपयोग है।

- **स्वार्म सैचुरेशन (Swarm Saturation) का खतरा:** एक ही समन्वित हमले में सैकड़ों ड्रोन की तैनाती ने स्वार्म हमलों से उत्पन्न गंभीर खतरे को स्पष्ट कर दिया है।
- ऐसे बड़े पैमाने के हमलों के सामने सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियाँ भी अपनी फायरिंग दर, अवरोधन क्षमता तथा पुनः लोड होने की गति जैसी सीमाओं का सामना करती हैं।
- **भारत का ड्रोन-रोधी सिद्धांत (Counter-Drone Doctrine)** अभी संक्रमणकालीन अवस्था में है तथा इसकी संचालनात्मक जिम्मेदारियाँ लगातार बढ़ रही हैं।

आधुनिक युद्ध को आकार देने वाली प्रमुख प्रौद्योगिकियाँ

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वास्तविक समय में खुफिया जानकारी के विश्लेषण, युद्धक्षेत्र के पूर्वानुमान, स्वचालित रसद प्रबंधन तथा निर्णय-सहायक प्रणालियों को सक्षम बनाती है।
- **मानवरहित एवं स्वायत्त प्रणालियाँ**: ड्रोन, लोइटरिंग म्यूनिशन्स तथा मानवरहित थल एवं नौसैनिक प्लेटफॉर्म ने निगरानी तथा आक्रमण क्षमताओं में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है।
- **साइबर एवं सूचना युद्ध:** इसका लक्ष्य महत्त्वपूर्ण अवसंरचना, कमान एवं नियंत्रण प्रणालियों तथा सैन्य नेटवर्क पर आक्रमण करना होता है, जो अनेक बार शांति काल में भी संचालित किए जाते हैं।
- सूचना युद्ध में दुष्प्रचार अभियान, मनोवैज्ञानिक अभियान तथा जनमत एवं राजनीतिक परिणामों को प्रभावित करने के उद्देश्य से कथानक नियंत्रण (Narrative Control) शामिल होते हैं।
- **अंतरिक्ष-रोधी क्षमताएँ (Counter-Space Capabilities)**: अंतरिक्ष आधारित संसाधन नौवहन, प्रक्षेपास्त्र मार्गदर्शन, निगरानी तथा सुरक्षित संचार के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।
- **उपग्रह-रोधी हथियार (Anti-Satellite Weapons)**, इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप तथा अंतरिक्ष मलबे के जोखिम ने अंतरिक्ष को एक प्रतिस्पर्धी एवं सैन्यीकृत क्षेत्र बना दिया है।
- **सटीक-निर्देशित आयुध (Precision-guided Munitions) तथा हाइपरसोनिक हथियार** न्यूनतम चेतावनी समय के साथ दूर से आक्रमण करने में सक्षम हैं, जिससे पारंपरिक प्रतिरोधक क्षमता तथा वायु रक्षा प्रणालियों के सामने नई चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं।

आधुनिक युद्ध से भारत के समक्ष उत्पन्न खतरे

- **हाइब्रिड एवं ग्रे-ज़ोन चुनौतियाँ**: भारत लगातार साइबर घुसपैठ, दुष्प्रचार अभियानों तथा प्रॉक्सी हिंसा जैसी ग्रे-ज़ोन रणनीतियों का सामना कर रहा है।
- **डोकलाम (2017) तथा लद्दाख गतिरोध (2020)** इस बात के उदाहरण हैं कि पूर्ण युद्ध के बिना भी दबाव एवं आक्रामकता प्रदर्शित की जा सकती है।
- **साइबर एवं सूचना संबंधी कमजोरियाँ**: सीईआरटी-इन (CERT-In) के आकलन के अनुसार भारत साइबर हमलों के सबसे अधिक निशाना बनाए जाने वाले पाँच देशों में शामिल है।
- **दुष्प्रचार अभियान** सामाजिक एकता, चुनावी प्रक्रियाओं तथा संस्थाओं में जनता के विश्वास को कमजोर कर सकते हैं।
- **समुद्री एवं अंतरिक्ष सुरक्षा जोखिम**: भारत के कुल व्यापार का 90% से अधिक (मात्रा के आधार पर) समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- **अंतरिक्ष आधारित संसाधनों पर बढ़ती निर्भरता** भारत को ऐसे अंतरिक्ष-रोधी खतरों के प्रति संवेदनशील बनाती है, जो नागरिक सेवाओं एवं सैन्य अभियानों दोनों को प्रभावित कर सकते हैं।

भारत की संस्थागत एवं रणनीतिक प्रतिक्रिया

- **सैन्य आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता**: भारत ने वित्त वर्ष 2026–27 के केंद्रीय बजट में रक्षा पूंजीगत व्यय के लिए ₹2.19 लाख करोड़ (लगभग 23.9 अरब अमेरिकी डॉलर) का प्रावधान किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 21.84% अधिक है।
- **तेजस, आकाश, पिनाका तथा सशस्त्र मानवरहित हवाई वाहन** (Armed UAVs) जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भरता तथा संचालनात्मक लचीलापन बढ़ाते हैं।

- **संरचनात्मक सुधार: शेकटकर समिति** की सिफारिशों के आधार पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) का पद सृजित किया गया, जिससे संयुक्त योजना एवं समन्वय को सुदृढ़ किया जा सके।
- **प्रस्तावित एकीकृत थिएटर कमांड (Integrated Theatre Commands)** का उद्देश्य बहु-आयामी संयुक्त सैन्य अभियानों को सक्षम बनाना है।
- **एकीकृत ड्रोन पहचान एवं अवरोधन प्रणाली** (IDD&IS): इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन **(DRDO)** तथा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड **(BEL)** ने विकसित किया है। यह एक व्यापक ड्रोन-रोधी प्रणाली है।
- यह प्रणाली 5–8 किमी की दूरी तक ड्रोन का पता लगाने, 2–5 किमी के दायरे में उनके संचार संकेतों को बाधित करने तथा निकट दूरी पर लेज़र आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियारों से उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम है।
- **"भार्गवास्त्र" एंटी-स्वार्म प्रणाली**: सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड (SDAL) द्वारा विकसित यह कम लागत वाली स्वदेशी ड्रोन-रोधी प्रणाली है, जो हार्ड-किल मोड में सूक्ष्म रॉकेटों (Micro-rockets) की सहायता से ड्रोन झुंडों को नष्ट करती है।
- भारतीय सेना ने अपनी रक्षात्मक तथा आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए **निगरानी ड्रोन तथा कामिकाज़े ड्रोन** की बड़े पैमाने पर खरीद की प्रक्रिया प्रारंभ की है।
- **रक्षा साइबर एजेंसी (DCA) तथा रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (DSA) की स्थापना** के माध्यम से युद्ध के उभरते क्षेत्रों को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया गया है।

आगे की राह

- **मजबूत ड्रोन-रोधी प्रणालियों की आवश्यकता**: स्वार्म ड्रोन कम लागत वाले लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली हथियार हैं, जो उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों को भी निष्प्रभावी कर सकते हैं।
- भारत को ऐसे किफायती ड्रोन-रोधी तंत्रों की खरीद को प्राथमिकता देनी चाहिए, जो छोटे मानवरहित हवाई वाहनों का पता लगाने, उनके संकेतों को बाधित करने तथा उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम हों।
- **रोबोटिक युद्ध क्षमताओं का विस्तार**: युद्ध में रोबोटिक प्रणालियों की बढ़ती भूमिका उच्च जोखिम वाले अभियानों में मानवबल पर निर्भरता कम कर रही है।
- रोबोटिक प्रणालियों का उपयोग बारूदी सुरंगों की पहचान, निगरानी, टोही तथा रसद सहायता के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है।
- **निष्क्रिय रक्षा उपाय (Passive Defence Measures):** आयरन डोम जैसी उन्नत रक्षा प्रणालियों के भी बड़े पैमाने पर हमलों के सामने सीमित होने से सक्रिय रक्षा प्रणालियों की सीमाएँ स्पष्ट हुई हैं।
- सैन्य संसाधनों का विकेंद्रीकरण, छलावरण, गोपनीयता तथा भूमिगत अवसंरचना जैसे निष्क्रिय रक्षा उपाय सैन्य शक्ति के संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

निष्कर्ष

- आधुनिक युद्ध की प्रकृति यह मांग करती है कि प्लेटफॉर्म-केंद्रित दृष्टिकोण के स्थान पर क्षमता-आधारित तथा प्रौद्योगिकी-संचालित सैन्य योजना अपनाई जाए। भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष सुरक्षा तथा संयुक्त सैन्य सुधारों को तीव्र गति से आगे बढ़ाना होगा।
- विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए मानव संसाधन, रक्षा नवाचार तथा रणनीतिक साझेदारियों में निरंतर निवेश आवश्यक होगा।
- तेजी से बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की संप्रभुता, स्थिरता तथा रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा के लिए युद्ध की बदलती प्रकृति के अनुरूप स्वयं को ढालना अत्यंत आवश्यक है।

स्रोत: IE

संक्षिप्त समाचार

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती

सन्दर्भ

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की **125वीं जयंती** पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (1901–1953)

- प्रारम्भ में भारतीय **राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य** रहे; बाद में **1930 के दशक में हिन्दू महासभा से जुड़** गए।
- **वर्ष 1934** में 33 वर्ष की आयु में **कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति** बने।
- उन्होंने **फ़ज़लुल हक़ मंत्रालय में** 1941–42 के दौरान **बंगाल के वित्त मंत्री** के रूप में कार्य किया।
- **1944**: उन्होंने अंग्रेज़ी दैनिक समाचार-पत्र "**नेशनलिस्ट**" की स्थापना की।
- **अखिल भारतीय हिन्दू महासभा के बिलासपुर अधिवेशन की अध्यक्षता** की।
- हिन्दू-मुस्लिम समस्याओं के समाधान की संभावनाओं पर चर्चा के लिए **एम. ए. जिन्ना से भेंट** की।
- वे मुस्लिम लीग तथा भारत के विभाजन के प्रबल आलोचक थे।
- **स्वतंत्रता के बाद (1947–1950)** वे अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में **उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री** बने, किन्तु मतभेदों के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया।
- **भारतीय जनसंघ के संस्थापक**: **वर्ष 1951** में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जिसे **वर्तमान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का वैचारिक पूर्ववर्ती** माना जाता है।
- उन्होंने राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता का समर्थन किया।

विरासत:

- उन्हें एक दृढ़ राष्ट्रवादी, शिक्षाविद् तथा सांस्कृतिक एकता के समर्थक के रूप में स्मरण किया जाता है।
- **कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह** तथा अनेक संस्थानों का नाम उनके सम्मान में रखा गया है।

स्रोत: Mint

हिंदकेसरी पेडगांव 'बैलगाड़ा शर्यत (Bailgada Sharyat)'

सन्दर्भ

- हिंदकेसरी पेडगांव 'बैलगाड़ा शर्यत' (बैलगाड़ी दौड़) ने महाराष्ट्र की गहरी ग्रामीण खेल परंपरा को प्रदर्शित किया। इसमें 1,000 से अधिक प्रतिभागियों तथा क्षेत्रभर से हजारों दर्शकों ने भाग लिया।

परिचय

- **बैलगाड़ी दौड़** एक ऐसा आयोजन है जिसमें **बैलों या बैलों की जोड़ी को लकड़ी के जुए से गाड़ी में जोड़ा** जाता है और उनके साथ, **चालक सहित या बिना चालक** के, दौड़ आयोजित की जाती है।
- **महाराष्ट्र** में इस ग्रामीण खेल को **'बैलगाड़ा शर्यत', 'छकड़ी' अथवा 'शंकरपथ'** के नाम से जाना जाता है।
- इसका आयोजन **प्रतिवर्ष महाराष्ट्र के सतारा ज़िले के खटाव तालुका स्थित पेडगांव** में किया जाता है।

जल्लीकट्टू

अर्थ:

- 'जल्लीकट्टू' शब्द तमिल के **'सल्ली कासु' (सिक्के)** तथा **'कट्टू' (बैलों के सींगों पर पुरस्कार स्वरूप बाँधा गया बंडल)** से मिलकर बना है।
- इसका आयोजन सामान्यतः **पोंगल के अवसर** पर किया जाता है।
- यह एक पारंपरिक खेल है, जिसमें खुले मैदान में छोड़े गए उत्तेजित बैलों के कूबड़ को पकड़कर टिके रहने की प्रतियोगिता होती है।

ऐतिहासिक संबंध:

- जल्लीकट्टू अत्यंत प्राचीन परंपरा है।
- **बैलों को वश** में करने का उल्लेख **मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर** में मिलता है, जिसका काल 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है।
- प्राचीन काल में इस खेल को **'येरु थझुवल' (बैल को आलिंगन करना)** कहा जाता था।

कंबाला

- कंबाला भैंसों की वार्षिक दौड़ है, जिसका आयोजन कृषि समुदाय द्वारा नवंबर से मार्च के बीच किया जाता है।
- यह प्रतियोगिता **कीचड़युक्त जल से भरे दो समानांतर दौड़-पथों पर** आयोजित होती है।

- परंपरागत रूप से इसका संरक्षण **कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़, उडुपी और भटकल** तथा **केरल के कासरगोड के तटीय क्षेत्रों** के तुलुवा जमींदारों और परिवारों द्वारा किया जाता है। यह क्षेत्र सामूहिक रूप से **तुलु नाडु** कहलाता है।

स्रोत: TH, IE

MY भारत Bharat (मेरा युवा भारत)

सन्दर्भ

- युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं की क्षमता के विकास तथा उसे राष्ट्र-निर्माण की दिशा में अग्रसर करने में MY भारत (मेरा युवा भारत) की भूमिका पर प्रकाश डाला।

MY भारत का परिचय

- MY भारत (मेरा युवा भारत) की **स्थापना अक्टूबर 2023 में** युवा **कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय** के अंतर्गत एक **स्वायत्त निकाय** के रूप में की गई।
- यह एक **डिजिटल मंच** है, जो सरकार, शैक्षणिक संस्थानों, गैर-लाभकारी संगठनों तथा उद्योग जगत को जोड़कर युवाओं की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करता है।
- इसका **उद्देश्य स्वयंसेवा, कौशल विकास, नेतृत्व क्षमता तथा नागरिक सहभागिता के अवसर** उपलब्ध कराकर युवाओं को राष्ट्र-निर्माण के केंद्र में स्थापित करना है।

- यह पहल राष्ट्रीय युवा नीति के अनुरूप है।
- इसका **मुख्य लक्ष्य 15–29 वर्ष आयु वर्ग** के युवाओं को राष्ट्र-निर्माण की गतिविधियों से जोड़ना है।
- साथ ही, **10–19 वर्ष आयु वर्ग** के किशोरों में प्रारम्भिक अवस्था से ही सक्रिय सहभागिता तथा नागरिक चेतना का विकास करना भी इसका उद्देश्य है।

स्रोत: PIB

गर्भावस्था के बाद खेल में वापसी हेतु आईसीसी के दिशानिर्देश

सन्दर्भ

- **अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC)** ने गर्भावस्था एवं प्रसव के बाद महिला खिलाड़ियों की क्रिकेट में सुरक्षित वापसी के लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया है।

परिचय

- **'गर्भावस्था के बाद खेल में वापसी'** दिशानिर्देशों का उपयोग आईसीसी के सदस्य देशों के क्रिकेट बोर्ड अपने-अपने स्थानीय कानूनों के अनुरूप खिलाड़ियों के कल्याण हेतु नीतियाँ बनाने के लिए कर सकते हैं।
- इसमें केस प्रबंधक नियुक्त करने का प्रावधान है, जो खिलाड़ी के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी होगा।
- बोर्ड ने अनुशंसा की है कि **खिलाड़ी गर्भावस्था की पहली तिमाही समाप्त होने के बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलना बंद कर दें।**
- खेल में पुनः वापसी के लिए दिशानिर्देशों में **'6 आर (6Rs) रूपरेखा'** दी गई है—
- **रेडी (Ready)** 0–6 सप्ताह: तैयारी
- **रिव्यू (Review)** 6–8 सप्ताह: समीक्षा
- **रीस्टोर (Restore)** 8–16 सप्ताह: शारीरिक पुनर्बहाली

- **रिकंडीशन (Recondition)** 12–16+ सप्ताह : पुनः शारीरिक क्षमता विकसित करना
- **रिटर्न (Return)** : खेल में वापसी
- **रिफाइन (Refine)**: बाल देखभाल जैसी सामाजिक बाधाओं तथा खिलाड़ी के मानसिक स्वास्थ्य का समाधान करते हुए प्रदर्शन में सुधार।
- **समर्पित नीति वाले देश:** ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, पाकिस्तान तथा वेस्टइंडीज।
- **भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में इस संबंध में अलग से कोई समर्पित नीति नहीं** है।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC)

- आईसीसी क्रिकेट के वैश्विक प्रशासन एवं विनियमन के लिए उत्तरदायी संस्था है।
- यह खेल के नियमों तथा खिलाड़ियों एवं अधिकारियों के आचार संहिता का निर्धारण एवं अनुपालन सुनिश्चित करती है।
- आईसीसी का नेतृत्व अध्यक्ष करते हैं, जिनका चुनाव आईसीसी बोर्ड द्वारा किया जाता है।
- आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) दैनिक कार्यों का संचालन करते हैं।
- इसका संचालन पूर्ण सदस्य देशों के प्रतिनिधियों तथा कुछ सहयोगी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों वाले निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।

स्रोत: TH

गृह मंत्रालय ने यूएपीए के अंतर्गत 23 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया

सन्दर्भ

- गृह मंत्रालय ने **गैरकानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1967 (UAPA) के अंतर्गत** 23 और व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया है।

परिचय

- यह घोषणा **यूएपीए की धारा 35** के अंतर्गत की गई है।
- यह धारा **केंद्र सरकार को यह अधिकार देती है कि यदि उसे किसी व्यक्ति के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का विश्वास हो, तो उसका नाम यूएपीए की चौथी अनुसूची** में शामिल कर सकती है।
- यह प्रावधान **वर्ष 2019 के संशोधन द्वारा** जोड़ा गया था।

गैरकानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम (UAPA)

- यह भारत का **प्रमुख आतंकवाद-रोधी कानून** है, जिसका उद्देश्य भारत **की संप्रभुता एवं अखंडता के विरुद्ध गैरकानूनी तथा आतंकवादी गतिविधियों को रोकना** है।
- इसे **1967 में संसद द्वारा पारित** किया गया।
- **केंद्र सरकार संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित कर** सकती है।
- कुछ मामलों में आरोपपत्र दाखिल किए बिना **180 दिनों तक हिरासत** में रखने का प्रावधान है।
- अधिकांश मामलों की **जाँच** राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण **(NIA)** द्वारा की जाती है।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA)

- **स्थापना:** राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत, 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद।
- **कार्य:** केंद्रीय आतंकवाद-रोधी जाँच एजेंसी।
- **अधिदेश:** भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संधियों आदि से संबंधित अपराधों की जाँच।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019

- **अधिकार-क्षेत्र का विस्तार**: भारत के बाहर भारतीय नागरिकों या भारतीय हितों से जुड़े अनुसूचित अपराधों की भी जाँच कर सकती है।
- **विस्तारित कार्यक्षेत्र**: विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908, मानव तस्करी, साइबर आतंकवाद तथा शस्त्र अधिनियम, 1959 से संबंधित अपराध भी शामिल किए गए।
- **मुख्यालय**: नई दिल्ली।
- **विशेष न्यायालय**: कुल 52 एनआईए विशेष न्यायालय, जिनमें 3 विशेष रूप से एनआईए न्यायालय (राँची, जम्मू और मुंबई) हैं।

स्रोत: TH

बंद (Caged) फ्रंटियर एआई मॉडल

सन्दर्भ

- हाल ही में यह बहस उभरी कि क्या बंद (Closed/Caged) फ्रंटियर एआई मॉडल, ओपन-वेट/ओपन-सोर्स एआई मॉडल पर अपनी बढ़त बनाए रख पाएँगे।

फ्रं टियर एआई मॉडल क्या हैं?

- फ्रंटियर मॉडल किसी भी समय उपलब्ध सबसे उन्नत एआई मॉडल होते हैं।
- इन्हें विशाल डेटासेट्स (Datasets) पर प्रशिक्षित किया जाता है ताकि अनेक कार्यों में अत्याधुनिक (State-of-the-Art) प्रदर्शन किया जा सके।
- ये **उन्नत तर्क क्षमता, चित्र एवं पाठ निर्माण तथा एजेंट आधारित कार्यप्रवाह (Agentic Workflows)** जैसे कार्यों में उपयोग किए जाते हैं।

'बंद (Caged)' एआई मॉडल क्या हैं?

- ऐसे फ्रंटियर एआई मॉडल जिनके मॉडल वेट (Weights), प्रशिक्षण डेटा तथा संरचना (Architecture) सार्वजनिक नहीं किए जाते।
- **उदाहरण**: ओपन एआई (OpenAI) के जीपीटी (GPT) मॉडल, एंथ्रोपिक (Anthropic) का Claude तथा गूगल का जेमिनी (Gemini)।
- इनका नियंत्रण विकसित करने वाली कंपनी के पास रहता है तथा इनका उपयोग केवल एपीआई (API) या सशुल्क सेवाओं के माध्यम से किया जा सकता है।
- इससे कंपनियाँ सुरक्षा नियंत्रण, बौद्धिक संपदा की सुरक्षा तथा मॉडल के उपयोग की निगरानी बनाए रखती हैं।
- इसके विपरीत, ओपन-वेट एआई मॉडल अपने प्रशिक्षित मॉडल वेट सार्वजनिक कर देते हैं, जिससे कोई भी उन्हें डाउनलोड, संशोधित और बेहतर बना सकता है।

स्रोत: TH

भारत को एशियाई शेरों के लिए दूसरे प्राकृतिक आवास की आवश्यकता

सन्दर्भ

- संरक्षण विशेषज्ञों ने पुनः इस आवश्यकता पर बल दिया है कि गिर क्षेत्र के बाहर एशियाई शेरों की दूसरी स्वतंत्र प्राकृतिक आबादी स्थापित की जाए, जिससे उनके विलुप्त होने का जोखिम कम हो।

एशियाई शेरों के लिए दूसरे आवास की आवश्यकता क्यों?

जनसंख्या में वृद्धि:

- 16वीं शेर जनसंख्या गणना के अनुसार, भारत में **शेरों की संख्या 2020 के 674 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है, अर्थात 32% की वृद्धि।**
- वर्तमान में इनकी पूरी आबादी केवल गुजरात में केंद्रित है।

संभावित खतरा:

- **भारतीय वन्यजीव संस्थान** की अनेक रिपोर्टों के अनुसार, यदि पूरी आबादी केवल एक ही क्षेत्र में सीमित रहे, तो वह महामारी, वनाग्नि या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाती है।
- ऐसी स्थिति में पूरी प्रजाति के समाप्त होने का खतरा उत्पन्न हो सकता है।
- **2018 में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस** (Canine Distemper Virus) के प्रकोप में कई शेरों की मृत्यु हुई तथा अनेक संक्रमित हुए, जिसने इस जोखिम को स्पष्ट रूप से उजागर किया।

एशियाई शेर (Panthera leo persica)

- यह भारत में पाई जाने वाली बड़ी बिल्ली (Big Cat) की पाँच प्रजातियों में से एक है।

भौतिक विशेषताएँ

- एशियाई शेर, **अफ्रीकी शेरों की तुलना में कुछ छोटे** होते हैं।
- नर शेरों की अयाल (Mane) अपेक्षाकृत कम विकसित होती है, जिससे उनके कान दिखाई देते हैं।
- इनके **पेट के नीचे त्वचा की स्पष्ट लंबवत तह** होती है, जो इन्हें अफ्रीकी शेरों से अलग पहचान देती है।

वितरण

- भारत में इनका वितरण मुख्यतः **गुजरात के गिर** वन और उसके आसपास तक सीमित है।

प्रमुख आवास:

- **गिर** राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य
- **पनिया** वन्यजीव अभयारण्य
- **मितियाला** वन्यजीव अभयारण्य
- **बरदा** वन्यजीव अभयारण्य

संरक्षण स्थिति

- **आईयूसीएन रेड लिस्ट**: संकटग्रस्त (Endangered)
- **साइट्स (CITES)**: परिशिष्ट-I
- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972**: अनुसूची-I

स्रोत: TH

■■■■